राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3951/2025

असद मलिक **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.08.2025
आदेश की दिनांक : 26.08.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अभिभाषक
समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है यह कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जामोली जिला भीलवाड़ा में कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता कथन है कि राज्य सरकार द्वारा केकड़ी जिले को समाप्त किये जाने के उपरान्त प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेश दिनांक 11.08.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए समायोजन पर पदस्थापन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा केकड़ी से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जामोली जिला भीलवाड़ा में दूरस्थ स्थान पर कर दिया गया। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 12.08.2025 (अनुलग्नक–2) को कार्यग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेश दिनांक 07.05.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का वेतन मई, 2025 से लगातार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, केकड़ी से ही आहरित हो रहा है। अपीलार्थी ने अधिशेष होने के उपरान्त समायोजन पर अपीलार्थी के इच्छित स्थान पर पदस्थापन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा, केकड़ी के आदेश दिनांक 17.04.2025 (अनुलग्नक–4) एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, अजमेर के पत्र दिनांक 25.07.2025 (अनुलग्नक–5) के कार्यालय में भिजवाया गया। अपीलार्थी ने स्वयं भी जिला समाप्त होने के बाद समय–समय पर अपने इच्छित स्थान पर समायोजन हेतु अभ्यावेदन जरिये रिजस्टर्ड डाक एवं ई–मेल द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के कार्यालय में प्रेषित कर दिये गये थे। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 14.08.2025 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के हार्ट–अटैक आने के कारण एन्जयोप्लास्टी से अपीलार्थी के हार्ट में दो स्टन्ट लगे हुए होने तथा वर्तमान में अपीलार्थी का हार्ट केवल मात्र 30 प्रतिशत ही कार्य करने, अपीलार्थी की विधवा माताजी का कैंसर की गंभीर बीमारी के चलते दिनांक 15.07.2025 को एक माह

वैंटीलेटर पर रहने के उपरान्त देहान्त होने से भी अपीलार्थी मानसिक रूप से परेशान है। अपीलार्थी की पुत्री मानसिक रोगी होने एवं अपीलार्थी के शिक्षा विभागीय राज्य स्तरीय मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारी सम्मान समारोह–2020 में उत्कृष्ट राजकीय सेवा के लिए राज्य स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित कार्मिक होने का भी उल्लेख किया गया था। अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जामोली जिला भीलवाड़ा के स्थान पर कार्यालय, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सावर, अजमेर अथवा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, टोंक अथवा कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, टोंक अथवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली, टोंक अथवा कार्यालय, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, दूदू, जयपुर अथवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डावर, टोंक में से किसी एक स्थान पर करने का अनुरोध किया गया है। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में दर्शाये गये किसी भी रिक्त स्थान पर पदस्थापन करवाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य